<u>महत्वपूर्ण / ई–मेल</u>

प्रेषक,

डॉ0 नितिन रमेश गोकर्ण,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश।
3. अध्यक्ष / नियंत्रक प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र उत्तर प्रदेश।
4. अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–8 लखनऊ : दिनॉक : 15 मार्च, 2024

विषयः– प्रदेश में अभिकरणों के क्षेत्रान्तर्गत विकसित कालोनियों / निर्मित भवनों में बिना मानचित्र स्वीकृति के बेसमेंट / अन्य खनन कार्य की रोकथाम हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश के संबंध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में आया है कि प्रदेश के अभिकरणों के क्षेत्रान्तर्गत विकसित कालोनियों में निर्मित भवनों में बिना अभिकरण के संज्ञान में लाये एवं बिना मानचित्र स्वीकृति के कतिपय भूखण्ड स्वामियों द्वारा बिना सुरक्षा मानकों तथा आस–पड़ोस के भवनों तथा उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा को ध्यान में न रखते हुए तथा अन्य किसी विशेषज्ञ एजेन्सी से स्ट्रक्चरल सिक्योरिटी के बावत् सलाह न लेते हुए बेसमेंट की खुदाई / मिट्टी के खनन का कार्य कराया जाता है, जिससे भवन के अगल–बगल में रहने वाले व्यक्तियों के भवनों की सुरक्षा एवं जान–माल की क्षति होने की घटनायें घटित होने की प्रबल सम्भावना सदैव बनी रहती है, ऐसी घटनाये घटित न हो इसके रोकथाम का उत्तरदायित्व संबंधित अभिकरणों का है।

2. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि ऐसे विषयगत प्रकरणों में उक्त प्रकृति की घटनायें भविष्य में घटित होती हैं तो इसके लिए संबंधित अभिकरणों के संबंधित अधिकारी / जोनल अधिकारी, सहायक / अवर अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

Digitally Signed by डॉ0 नितिन रमेश गोकर्ण
Date: 14-03-2024 18:44:57
Reason: Approved

(डॉ0 नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ को वेबसाइट / पोर्टल पर अपलोड कराये जाने हेतु।
4. समस्त अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(किशलय सिंह)
अनु सचिव।